


08.02.24

पत्रा. पेश हुई। जट्टपाल द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर  
जबान हम आशय पेश किया कि अटॉके सेबेच में माननीय न्यायालय  
उच्च न्यायालय द्वारा स्वगत आदेश प्रदान किए गए। जबान व  
सेलगत दस्तावेज शामिल पत्रा. किए गए। पत्रा. का अवलोकन  
किया गया। जट्टपाल द्वारा प्रस्तुत माननीय न्यायालय के स्वगत  
आदेश की धापा प्रति का अवलोकन किया गया। माननीय राज.  
उच्च न्यायालय द्वारा S.B. सिविल रिट पिटरीशन नं. 13758/2023  
में जट्टपाल के आवासीय मकान को नहीं लौटने बावत् स्वगत  
आदेश पारित किया हुआ है। उक्त पक्ष को दुरा गया। जट्टपाल  
द्वारा बनाए गए उक्त मकान पर मा. न्यायालय द्वारा स्वगत आदेश  
पारित होने के कारण कर्पवाही किया जाता उचित प्रतीत नहीं  
होता है। अतः अपील अन्वीक्षा की जाकर पटवारी दस्ता के  
निर्देशित किया जाता है कि मा. न्यायालय द्वारा प्रकरण में  
स्वगत आदेश निरस्त होने अथवा नवीन आदेश होने पर  
नये सिरे से नियमावली रिपोर्ट प्रस्तुत करें। पत्रावली  
कुलल शुभाह लोक नम्बर से हम है। बाड लुकील दायिल  
दस्ता की जावे।

  
08/02/2024